No.CDN-27011/2/2019-CDN-MCA
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Dated: 12.04.2019

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of March, 2019 is enclosed for information.

(Hemant Verma)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 23389622

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1. Cabinet Secretary, Cabinet Secretariat, New Delhi
2. Secretary to the President of India, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
3. Secretary to the Vice- President of India, Vice President's Secretariat, New Delhi.
4. The Principal Director General, Ministry of I & B, Shastri Bhawan, New Delhi
5. Secretary, Deptt. of Telecommunications, Sanchar Bhawan, New Delhi
6. Secretary, Deptt. of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi
7. Secretary, Deptt. of Statistics, Sardar Patel Bhawan, New Delhi
8. Secretary, Legislative Deptt., Shastri Bhawan, New Delhi
9. Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research,C.S.I.R Building, Rafi Marg, New Delhi
10. Secretary, Ministry of Environment & Forest, Paryavaran Bhawan, New Delhi
11. Secretary, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi
12. Secretary, Deptt. of Revenue, North Block, New Delhi
13. Secretary, Deptt. of Industrial Development, Udyog Bhawan, New Delhi
14. Secretary, Deptt. of Defence Production & Supplies, South Block, New Delhi
15. Secretary, Deptt. of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi

Copy to:

(i) Economic Advisor, MCA
(ii) Senior PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
(iii) Senior PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate affairs

Copy, also to: Dir (AK) - To upload the communication on official website of the MCA - under the caption "Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of March, 2019"

(Hemant Verma)
Under Secretary to the Govt. of India

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF MARCH, 2019

1. Notifications:-

(i) Companies (Incorporation) Rules, 2014 were amended on 6th March, 2019 vide notification G.S.R. 180(E). Through the said notification (i) in clause (a), sub-rule (5) of rule 30, for the words "with the widest circulation", the words "with wide circulation" has been substituted, (ii) in the second proviso to sub-rule (2) of rule (38), for the words "equal to rupees ten lakhs" the words "equal to rupees fifteen lakhs" has been substituted, with effect from 18.03.2019. (Notification no. G.S.R. 180(E) dated 06.03.2019).

(ii) Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 have been amended on 30.03.2019, by inserting Ind AS 116, Leases which is corresponding to IFRS 16, Leases. This Ind AS 116 has replaced existing Ind AS 17 Leases an accordingly single Lease accounting model for lessee by eliminating the classification of Leases as either operating leases by finance leases. (Notification no. G.S.R. 273(E) dated 30.03.2019).

(iii) Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 have been amended on 30.03.2019 in order to bring uniformity with the changes made in IFRS from time to time and as a part of convergence with IFRS, the notification is being made to amend Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 to make some existing Ind ASs (Ind AS-12, 19, 23, 28, 103, 109, 111 and consequent amendments in other Ind ASs) similar to IFRSs. (Notification no. G.S.R. 274(E) dated 30.03.2019).

2. Circulars:-

(i) This Ministry has issued General Circular no. 03/2019 dated 21.02.2019 regarding clarification on filing of e-form RD-1-Conversion of public company into private company and change in a Financial Year. The Regional Directors are advised to process e-form RD-1 for the applications u/s 2(41) (change in a financial year) and u/s 14 of the Companies Act, 2013 (conversion of public limited company into private

company), alongwith e-from RD-1, if 'others' is selected on account of aforesaid two counts, till the revised form is deployed by this Ministry. The Ministry has also clarified that such applications filed in e-form no.RD-1 should not be rejected merely on the ground that "others" is selected and "e-from is not available", till the said form is deployed by this Ministry.

3. During the month of March, 2019, five (05) antitrust cases were filed before the Competition Commission of India (Commission). The Commission also received ten (10) combination notices and disposed of twelve (12) combination notices during the month.The Commission organized 4th National Conference on Economics of Competition Law on 1st March, 2019.

4. PepsiCo India's bottling partner Varun Beverages Ltd. (VBL) on 25 March, 2019 has received nod from the Commission for its proposal to acquire franchise rights of beverage business of the foods and snacks major of PepsiCo India in southern and western India.

5. In the matter of Reliance Industries vs. Indian Oil Corporation Ltd. and ors., (Case. N0. 26/2010), the Commission ordered investigation u/s 26(1) of the Competition Act in 2010. The proceedings in the matter has been stayed by Delhi High Court.

6. A meeting was organized by MCA on 06.03.2019 with Resolution Professionals (RPs) and Committee of Creditors (CoC) members of 20 cases referred by RBI in II List, under Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) to discuss reasons for delay in the resolution process of said cases and also, identify the best practices evolving out of successful resolved cases.

7. As on 28.02.2019, 1683 cases have been admitted by NCLT. 79 cases have been withdrawn under Sec. 12A of IBC and 88 cases have been resolved after adjudication. 351 cases have been sent for liquidation. Further, as on 28.02.2019, 6079 cases have been disposed off before admission by NCLT.

8. Ex-post facto approval of the Memorandum of Understanding(MoU) signed in 2008 and renewed in 2014 between the Institute of Chartered Accountants of India(ICAI) and Institute of Chartered Accountants in England and Wales(ICAEW).

9. Renewal of the Memorandum of Understanding between the Institute of Charted Accountants of India(ICAI) and Institute of Chartered Accountants in England and Wales(ICAEW) was approved by the Cabinet on 07.03.2019

10. IICA has successfully conducted the Open House and Panel Discussion on the Graduate Insolvency Programme at India International Centre on 27th March, 2019. IICA hosted the CSR Conclave in Cochin on 6th March 2019. The Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) with Department of Public Enterprises (DPE) conducted a five day "PSU's-Repositioning programme -Creating strategic leadership on cost, Performance, Innovation & Impact" from 25th February 2019 to 1st March 2019 in Agartala, Tripura.

11. An MoU was signed on March 2019 between Indian Institute of Corporate Affairs and National Financial Reporting Authority (NFRA). IICA and Gurugram University signed an MOU in December 2019 to promote research and to roll out degree/ diploma courses in the area of corporate affairs. In order to commence the process, an inspection committee visited IICA on 26 March 2019 and inspected the learning and intellectual infrastructure.

12. IICA has conducted baseline study for Hindalco India LTC and has also conducted impact assessment study for the CSR initiatives of Numaligarh Refinery TTD.

सं. सीडीएन-27011/2/2019-सीडीएन-एमसीए

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,

डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

तारीखः 12.04.2019

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मार्च, 2019 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

(हेमंत वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाषः 23389622

<u>मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य</u>

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. कैबिनेट सचिव, केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली
2. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
3. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
4. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
9. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
10. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
12. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
13. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
14. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
15. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषितः (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(ii) सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(iii) अपर सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रतिलिपि प्रेषितः निदेशक (ए.के.) - एमसीए वेबसाइट पर "कारपोरेट कार्य मंत्रालय का मार्च, 2019 का मासिक सार" शीर्षक के अंतर्गत अपलोड करने के लिए

(हेमंत वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

<u>कारपोरेट कार्य मंत्रालय</u>

मार्च, 2019 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और मुख्य उपलब्धियां

1. अधिसूचनाएः-

(i) कंपनी (निगमन) नियम, 2014 दिनांक 6 मार्च, 2019 को अधिसूचना सा.का.नि. 180(अ) द्वारा संशोधित किए गए। उक्त अधिसूचना के माध्यम से दिनांक 18.03.2019 से (i) नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (क) में "सर्वाधिक परिचालन से" शब्दों के लिए "व्यापक परिचालन" शब्द रखे गए, (ii) नियम (38) के उप-नियम (2) के दूसरे परंतुक में "दस लाख रूपयों के बराबर" शब्दों के लिए "पन्द्रह लाख रूपए के बराबर" शब्द रखे गए। (अधिसूचना सं. सा.का.नि. 180(अ), दिनांक 06.03.2019)।

(ii) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 इंड एएस 116, लीज जो आईएफआरएस 16 लीज से संबंधित है, को अंतः स्थापित करके दिनांक 30.03.2019 को संशोधित गए हैं। इस इंड एएस 116 में मौजूदा इंड एएस 17 लीज को प्रतिस्थापित किया है जो वित पट्टेधारी द्वारा लीज संचालित करके लीज के वर्गीकरण खत्म करके पट्टेधारी के लिए तदनुसार एकल लीज लेखांकन मोडल है। (अधिसूचना सं. सा.का.नि. 273(अ), दिनांक 30.03.2019)।

(iii) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 में आईएफआरएस में समय-समय पर किए गए परिवर्तनों में समानता लाने के लिए दिनांक 30.03.2019 को संशोधन किया गया और आईएफआरएस में समाभिरूपता के भाग के रूप में, आईएफआरएस के समान कुछ वर्तमान इंड एएस (इंड एएस-12,19,23,28,103,109,111 और अन्य इंड एएस में परवर्ती संशोधन करने के लिए कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए अधिसूचना बनाई जा रही है। (अधिसूचना सं. सा.का.नि. 274(अ), दिनांक 30.03.2019)।

2. परिपत्रः-

(i) इस मंत्रालय ने दिनांक 21.02.2019 को पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन करने और वित्तीय वर्ष में परिवर्तन करने के लिए ई-प्ररूप आरडी-1 दायर करने के लिए स्पष्टीकरण से संबंधित सामान्य परिपत्र सं. 03/2019 जारी किया है। प्रादेशिक निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(41) (वित्तीय वर्ष में परिवर्तन) और धारा 14 (पब्लिक लिमिटेड कंपनी का प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन) के तहत ई-प्ररूप आरडी-1 दायर करने और, यदि उपर्युक्त दोनों के विकल्पों से 'अन्य' का चयन किया जाता है, तो इस मंत्रालय द्वारा संशोधित प्ररूप शुरू किए जाने तक आर-डी-1 दायर करने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मंत्रालय द्वारा उक्त प्ररूप प्रारंभ नहीं किया जाने तक ई-प्ररूप सं. आरडी-1 में दायर ऐसे आवेदन "अन्य" और "ई-प्ररूप उपलब्ध नहीं" का चयन किए जाने के आधार पर ही रद्द नहीं किए जाएंगे।

3. मार्च, 2019 माह के दौरान, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (आयोग) के समक्ष अविश्वास संबंधी पांच (05) मामले दायर किए गए थे। आयोग को दस (10) संयोजन नोटिस भी प्राप्त हुए और इस माह के दौरान बारह (12)

संयोजन नोटिसों का निपटान किया गया। आयोग ने 1 मार्च, 2019 को चौथे नेशनल कांफ्रेंस ऑन इकॉनॉमिक्स ऑफ कॉम्पिटिशन लॉ का आयोजन किया।

4. पेप्सिको इंडिया के बॉटिलंग भागीदार वरूण बैवरेजिज लि. (वीबीएल) को दिनांक 25 मार्च, 2019 को पेप्सिको इंडिया के फूड और स्नैक्स के बैवरेजिज व्यवसाय में दक्षिणी और पश्चिमी भारत में फ्रैंचाइजी अधिकार प्राप्त करने के इसके प्रस्ताव को आयोग से मंजूरी प्राप्त हुई।

5. रिलाइंस इंडस्ट्रीज बनाम इंडियल ऑयल कॉपोरेशन लि. और अन्य, (मामला सं. 26/2010) मामले में, आयोग ने वर्ष 2010 में प्रतिस्पर्धा आयोग की धारा 26(क) के तहत जांच के आदेश दिए थे। इस मामले पर कार्रवाई पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है।

6. कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा आरबीआई द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत सूची II में संदर्भित 20 मामलों के समाधान व्यवसायिकों (आरपी) और लेनदारों की समिति (सीओसी) सदस्यों के साथ उक्त मामलों की समाधान प्रक्रिया में हुई देरी पर चर्चा करने और सफलतापूर्वक सुलझाए गए मामलों की सर्वोत्तम व्यवस्याओं की पहचान करने के लिए दिनांक 06.03.2019 को एक बैठक का आयोजन किया गया।

7. दिनांक 28.02.2019 के अनुसार, एनसीएलटी के द्वारा 1683 मामले स्वीकृत किए गए। आईबीसी की धारा 12(क) तहत 79 मामलों को वापस ले लिया गया और न्यायनिर्णयन के पश्चात् 88 मामलों का निपटान किया गया है। 351 मामलों को समापन के लिए भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 28.02.2019 के अनुसार 6079 मामलों का स्वीकार किए जाने से पहले एनसीएलटी द्वारा निपटान कर दिया गया है।

8. भारतीय चार्टर्ड अकांउटेंट संस्थान(आईसीएआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकांउटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वैल्स (आईसीएईडब्ल्यू) के बीच वर्ष 2008 में हस्ताक्षरित और वर्ष 2014 में नवीनीकरण किए गए समझौता ज्ञापन का पूर्वव्यापी अनुमोदन।

9. भारतीय चार्टर्ड अकांउटेंट संस्थान(आईसीएआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकांउटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वैल्स (आईसीएईडब्ल्यू) के बीच के नवीनीकरण को दिनांक 07.03.2019 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

10. आईआईसीए ने दिनांक 27 मार्च, 2019 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ऑपन हाऊस एंड पैनल डिसकशन ऑन द ग्रेजुएट इंसोल्वेंसी प्रोग्राम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) ने लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के साथ मिलकर अगरतला, त्रिपुरा में दिनांक 25 फरवरी, 2019 से 1 मार्च 2019 तक "पीएसयूज-रीपॉजिशनिंग प्रोग्राम-क्रिएटिंग स्ट्रेटजिक लीडरशीप ऑन कॉस्ट, पर्फोर्मेंश, इनोवेशन एंड इंपैक्ट" पर पांच दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

11. भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के बीच मार्च, 2019 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईआईसीए और गुरूग्राम विश्वविद्यालय ने अनुसंधान को बढ़ावा देने और कारपोरेट मामलों के क्षेत्र में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को रोल-आउट करने के लिए दिसंबर, 2019 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए, दिनांक 26 मार्च, 2019 को एक निरीक्षण समिति ने आईआईसीए का दौरा किया और अध्ययन और बौद्धिक अवसंरचना का निरीक्षण किया।

12. आईआईसीए ने हिंडलको इंडिया एलटीसी के लिए आधार-भूत अध्ययन का आयोजन किया और नुमालीगढ़ रिफाइनरी टीटीडी के सीएसआर संबंधी पहलों के लिए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन का आयोजन भी किया है।